—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 5/2024

उनवान

1. तेजपाल पुत्र नारायण,
2. प्रेम पुत्री नारायण,
3. बिशनलाल, रामस्वरूप पि0 नारायण जाति माली नि0 श्रीनगर, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. महावीर पुत्र जेठुमल,
2. लाला पुत्र बददू,
3. रामेश्वरी पत्नी कन्हैयालाल,
4. कमला देवी पत्नी पुखराज,
5. इन्दिरा देवी पत्नी हरिराम,
6. कैलाश पुत्र मोहन,
7. कैलाश पुत्र सुवालाल,
8. गीता पुत्री सुवालाल,
9. झमकू पत्नी चन्दनमल,
10. नेमीचन्द पुत्र सुवालाल,
11. पुखराज दत्तक पुत्र नीरू,
12. पांचू पुत्र मोहन
13. बिशनलाल पुत्र सुवालाल,
14. भगवानस्वरूप पुत्र रामरतन,
15. भैरूलाल पुत्र सुवालाल,
16. राधा पत्नी सुवालाल,
17. रामदेव पुत्र चन्दनमल
18. लाली पत्नी सुवालाल
19. विश्राम पुत्र रामरतन,
20. शिवराज पुत्र शिवलाल
21. सुनिता देवी पत्नी भगवानस्वरूप,
22. हेमा पुत्री सुवालाल समस्त जाति माली नि0 श्रीनगर,
23. नसीराबाद, बैंक प्रबंधक स्टेट बैंक आफॅ इण्डिया श्रीनगर,
24. राज0 सकार जरियें हसील[illegible]

—— अप्रार्थीगण :— 7, 10, 13, 15 [illegible] 20 [illegible]यें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत
24. [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

——2

—: आदेश :—

दिनांक :— 18.9.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 2065 रकबा 1.48 व 2091 रकबा 002 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। आवेदनकर्ता अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 9295/2093, 2094, 9297/2095, 2097 व 6141 में से गुजरते हुये अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज खसरा नम्बर 6154 गै.मु. बरडा का उपयोग करते है। खसरा नम्बर 6154 रास्ता है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थीगण के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7, 10, 13, 15 व 20 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये किन्तु समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया गया।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 2065 रकबा 1.48 व 2091 रकबा 002 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 9295/2093अप्रार्थी संख्या 1 के नाम, खसरा नम्बर 2094 अप्रार्थी संख्या 2 के नाम, खसरा नम्बर 9297/2095 अप्रार्थी संख्या 3 के नाम, खसरा नम्बर 2097 अप्रार्थी संख्या 4 के नाम व खसरा नम्बर 6141 अप्रार्थी संख्या 5 से 22 के नाम खातेदारी दर्ज है। खसरा नम्बर 6154 अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। प्रकरण में प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर पर मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है। किन्तु खसरा नम्बर की किस्म राजस्व अभिलेख में गै.मु. रास्ता नही हो कर गै.मु. बरडा दर्ज है। प्रार्थीगण ने अजमेर विकास प्राधिकरण को पक्षकार भी नही बनाया हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता नही चाहा है। उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता नही चाहने पर मात्र अप्रार्थी संख्या 1 से 22 की आराजी में से रास्ता दिये जाने पर उक्त मार्ग पूर्ण रूप से राजस्व अभिलेख में अंकित नही होगा। खसरा नम्बर 6154 को धारा 131 के तहत मार्ग के रूप में अंकित करने का प्रस्ताव भी पूर्व में नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपूर्ण मार्ग दिया जाना न्यायोचित नही है।

उक्तानुसार खसरा नम्बर 6154 में से रास्ता नही चाहने व उक्त खसरा नम्बर राजस्व अभिलेख में मार्ग के रूप में अंकित नही होने के कारण प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र **का निस्तारण इस** आशय से किया किया जाता है कि खसरा नम्बर 6154 को राजस्व अभिलेख में मार्ग अंकित होने के बाद प्रार्थी नवीन आवेदन पत्र पेश कर सकता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:39:42 IST
Reason: SelfAttested